

## डिक्री मुकदमा इख्दवाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाक्वा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम  
पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस  
उनवान

रहाम सुन्दर पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी मनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला  
करौली। (वादी)

बनाम

1. टीकन पुत्र नीनसिंह
2. अनरसिंह पुत्र टीकनसिंह
3. जनक सिंह पुत्र टीकन सिंह
4. रघुराज सिंह पुत्र टीकन सिंह  
समस्त जाति राजपूत निवासी मनकपुरा तहसील टोडाभीम।
5. अशोक कुमार पुत्र विशम्भर दयाल
6. तारादेवी पुत्री विशम्भर दयाल
7. बाबूलाल पुत्र श्यामलाल
8. माया देवी पुत्री विशम्भरदयाल
9. शंकरलाल पुत्र विशम्भरदयाल  
समस्त जाति महाजन निवासी मनकपुरा तहसील टोडाभीम।
10. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 85 / 2019


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कवाई रुबई श्री .....व  
श्री वैणीनाथ पारीक एडवोकेट हमारें मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है,  
व ग्राम मनकपुरा की आराजीयात में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि

| क्र0सं0 | नाम खातेदार काश्तकार  | ख0न0  | रकबा     |
|---------|---|-------|----------|
| 1       | रघुराज सिंह पुत्र टीकनसिंह जाति राजपूत सा.देह<br>खातेदार    | 508   | 0.07 है0 |
| 2       | श्यामसुन्दर सिंह पुत्र जगदीश सिंह राजपूत सा.<br>देह खातेदार | 508/1 | 0.03 है0 |

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस  
की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता  
है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के  
मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....  
अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28/2/25 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-करौली